भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4143
(दिनांक 13.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचार

4143. श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर फर्जी समाचारों के बढ़ते मामलों पर गंभीरता को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक तथ्यगत जांच मॉड्यूल स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तंत्र को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लागू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार और सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ ऐसे फर्जी समाचारों के मामलों की संख्या कितनी है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (च): साइबर स्पेस, इंटरनेट पर लोगों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं का एक मिश्रित परिवेश है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें हैं कि मिथ्या समाचार फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग हो रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थों से अपेक्षा है कि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतें। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि समुचित सरकार या इसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर गैर-कानूनी ऑनलाइन सामग्री को हटाया जाए।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निरंतर सूचना सुरक्षा, शिक्षा एवं जागरूकता (आईएसईए) नामक कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय आचार-शास्त्र का पालन करने का महत्व दर्शाते हुए प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा कर रहा है और उन्हें अफवाहों/मिथ्या समाचारों को साझा न करने के लिए कह रहा है। सूचना, सुरक्षा और जागरूकता हेतु एक समर्पित वेबसाइट (**https://www.infosecawaraness.in**) पर सभी संगत जागरूकता सामग्री दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय तथा पुलिस आपत्तिजनक सामग्री हटाने के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के संपर्क में है। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में दिनांक 13.01.2018 को एक एडवाइजरी सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक एडवाइजरी जारी की हैं।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत बनाए गए नियमों में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि टेलीविजन पर ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी तरह की कोई अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, मिथ्या और कटाक्षपूर्ण परोक्ष तथा झूठ बात कही गई हो। स्व-विनियामक तंत्र के भाग के रूप में, समाचार की सामग्री की जांच करने के लिए समाचार चैनलों द्वारा समाचार-प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) गठित किया गया है।

*****